भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3690
दिनांक 11 अगस्त 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाणन (एम.सी.सी.डी)

†3690. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाणन (एम.सी.सी.डी) के अनुसार हृदयाघात या अचानक हुई हृदय संबंधी बीमारियों के कारण रिपोर्ट की गई मौतों की संख्या कितनी है और विगत दस वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार डेटा का ब्यौरा क्या है;

(ख) 40 वर्ष से कम आयु के लोगों की मौतों सहित लिंग और आयु समूहों, या निर्धारित आयु श्रेणियों के अनुसार क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कम आयु वर्ग (40 वर्ष से कम) के लोगों में हृदयाघात के कारण होने वाली मौतों में कोई वृद्धि की प्रवृति देखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुरुआती हृदयाघात से हुई मौतों के लिए सरकार द्वारा किन कारकों को जिम्मेदार पाया गया है और इससे निपटने के लिए क्या निवारक, स्क्रीनिंग और जागरुकता उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (ORGI) द्वारा संकलित मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण (Medical Certification of Cause of Death - MCCD) रिपोर्टों के अनुसार, मृत्यु के कारणों का वर्गीकरण रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICD-10) के अनुरूप किया जाता है। प्रकाशित MCCD रिपोर्टों में "हृदय गति रुकना (Cardiac Arrest)" को मृत्यु के पृथक कारण के रूप में संकलित नहीं किया जाता है। तथापि, परिसंचरण तंत्र के रोगों (Diseases of the Circulatory System), जिनमें विभिन्न प्रकार के हृदय रोग सम्मिलित हैं, के कारण होने वाली चिकित्सीय रूप से प्रमाणित मृत्यु के आंकड़े संकलित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान परिसंचरण तंत्र (Circulatory System) के रोगों के कारण चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मृत्यु के वर्षवार तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार आंकड़े मृत्यु के कारणों के चिकित्सा प्रमाणन (MCCD) रिपोर्टों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इन वार्षिक एमसीसीडी रिपोर्टों में लिंग वार तथा आयु वर्ग के अनुसार, प्रमुख रोग समूहों—

जिनमें परिसंचरण तंत्र के रोग भी शामिल हैं, के आधार पर मृत्यु संबंधी आंकड़े भी प्रकाशित किए जाते हैं। वार्षिक एमसीसीडी रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://censusindia.gov.in/census.website/data/MCCDREP

(ग) व (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हृदय रोगों (हार्ट अटैक) के मामलों से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर संधारित नहीं किए जाते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि हृदयाघात के कारणों को समझने के लिए, आईसीएमआर-राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (ICMR-NIE) ने भारत भर के 25 अस्पतालों में एक बहु-केंद्रीय (मल्टी-सेंट्रिक) सुमेल केस-कंट्रोल अध्ययन किया।

इनमें उन 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के रोगियों को शामिल किया गया था जिन्हें अक्टूबर 2021 से जनवरी 2023 के बीच अध्ययन अस्पतालों में नए निदान किए गए तीव्र मायोकार्डियल इंफार्क्शन (Acute Myocardial Infarction - AMI) के साथ भर्ती किया गया था। कंट्रोल उन 18–45 वर्ष आयु वर्ग के रोगियों को शामिल किया गया था, जिन्हे उसी अस्पताल में अन्य कारणों से भर्ती किया गया था और जिनके भर्ती होने का समय अध्ययन अस्पतालों के रोगियों से मेल खाता था। विभिन्न जोखिम कारकों से संबंधित जानकारी एकत्र की गई। अध्ययन में पाया गया कि एएमआई के साथ अस्पताल में भर्ती होना किसी भी ज्ञात सह-रुग्णता (कॉमॉर्बिडिटी) की उपस्थिति, थ्रोम्बोटिक घटनाओं के पारिवारिक इतिहास और धूम्रपान करने से संबन्धित था।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के अंतर्गत देश में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 6,410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) एनसीडी क्लीनिक तथा 233 कार्डियक केयर यूनिट स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (Comprehensive Primary Health Care) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत उच्च रक्तचाप सहित सामान्य एनसीडी की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है।

हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं के प्रबंधन के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल लागू किया गया है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (स्पोक) को प्रारंभिक थ्रोम्बोलाइसिस और स्थिति स्थिर करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि तृतीयक (टर्शियरी) अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय उन्नत उपचार उपलब्ध कराते हैं। एम्बुलेंस सेवाएं, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म और सुव्यवस्थित रेफरल प्रक्रियाएं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाती हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3690, दिनांक 11.08.2026

भारत सरकार, गैर-संचारी रोगों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमे हृदय रोग भी शामिल हैं। ये गतिविधियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जानी हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत रोकथाम को मजबूत किया जाता है। जिसमे सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों और लक्षित संचार को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के माध्यम से स्वस्थ खान-पान को प्रोत्साहित किया जाता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया आंदोलन संचालित किया जाता है, तथा आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।
